

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री प्रशान्त शर्मा, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/2482

दिनांक - 24/08/20

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 बांगाराम गोदपुत्र अणदूदेवी पत्नी स्व. ठाकराराम जाति जाट निवासी रेल्वे स्टेशन जसाई तहसील व जिला बाड़मेर।

1 गिरधारीराम 2 डूंगराराम 3 खीमाराम पिसरान अर्जुनराम 4 शेराराम 5 कूम्याराम 6 टीकमाराम पिसरान तगाराम 7 सगनाराम 8 हींजाराम पिसरान पेमाराम 9 नेनूदेवी पत्नी पेमाराम 10 खेताराम 11 हरखाराम पिसरान पोकरराम 12 समजूदेवी पत्नी पोकरराम जाति मेघवाल निवासी मंशोणियों की बस्ती, जसाई तहसील बाड़मेर 13 मांगाराम 14 उम्मेदाराम 15 सगताराम पिसरान जालूराम जाति मेघवाल निवासी नई जसाई तहसील बाड़मेर 16 साबेदार 17 रहमतुल्लाह पिसरान हाजी साकर जाति मुसलमान निवासी सूठोणियों की बस्ती (देरासर) तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 45/2020

दिनांक- 24/08/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मंशोणियों की बस्ती पटवार क्षेत्र जसाई तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 370/109 रकबा 19.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(प्रशान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 24/08/20

क्रमांक :- रीडर/2020/2483 - 06

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जसाई तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. बांगाराम गोदपुत्र अणदूदेवी पत्नी स्व. ठाकराराम जाति जाट निवासी रेल्वे स्टेशन जसाई तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी गिरधारीराम पुत्र अर्जुनराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी मंशोणियों की बस्ती, जसाई तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर